बजट में साधारण बीमा कंपनियों में पूंजी डालने की घोषणा संभव

नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के लिए दूसरे दौर की पूंजी डालने की घोषणा कर सकती हैं। ऐसी कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए सरकार यह कदम उठा सकती है।

सरकार ने पिछले महीने 2019-20 के लिए पहली अनुदान के लिए अनुपूरक मांग में तीन बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस, ओरियंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में 2,500 करोड़ रुपए डालने की घोषणा की थी। सूत्रों ने कहा कि इन कंपनियों को तय 'सॉल्वेंसी मार्जिन' के लिए 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी। सूत्रों ने बताया कि इस बारे में घोषणा वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में की जा सकती है। बजट एक फरवरी को पेश किया जाना है। पूंजी डालने के बाद न केवल इन कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधरेगी, बल्कि उनके विलय का रास्ता भी खुल सकेगा। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 में घोषणा की थी कि तीनों कंपनियों का एक इकाई के रूप में विलय किया जाएगा। हालांकि, इन कंपनियों का विलय कई कारणों मसलन उनकी खराब वित्तीय सेहत की वजह से नहीं किया जा सका था। सूत्रों ने बताया कि विलय के बाद अस्तित्व में आने वाली संयुक्त इकाई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। शुरुआती अनुमानों के अनुसार विलय के बाद बनने वाली संयुक्त इकाई देश की सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी होगी, जिसका मूल्य 1.2 से 1.5 लाख करोड़ रुपए होगा। 31 मार्च, 2017 तक तीनों कंपनियों के कुल बीमा उत्पाद 200 से अधिक थे। इनका कुल प्रीमियम 41,461 करोड़ रुपए और बाजार हिस्सेदारी 35 फीसद थी।

मुलाकात मथुरा में रविवार को सोने व चांदी के आभूषण विक्रेताओं से मुलाकात के दौरान भाजपा सांसद व अभिनेत्री हेमामालिनी।

तीन साल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में नौकरियां 44 फीसद बढ़ीं

मुंबई, 12 जनवरी (भाषा)।

देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) से संबंधित नौकरियों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर, 2016 से नवंबर, 2019 के बीच देश में स्टेम संबंधित नौकरियों में 44 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

रोजगार संबंधी सेवाएं देने वाली वेबसाइट इनडीड के आंकड़ों के अनुसार नौकरियों की तलाश करने वाले लोगों के लिए स्टेम से संबंधित भूमिका काफी आकर्षक है। पिछले तीन साल में इस क्षेत्र की नौकरियों की मांग बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार नवंबर, 2016 से नवंबर, 2019 के दौरान इन क्षेत्रों में नौकरियों में 44 फीसद का इजाफा हुआ है। नवंबर, 2018 से नवंबर, 2019 के दौरान इनमें नौकरियां पांच फीसद बढ़ी हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए नवंबर, 2016 से नवंबर, 2019 के दौरान इनडीड प्लेटफॉर्म पर पोस्टिंग और सर्च की गणना की गई। इनडीड इंडिया के इंजीनियरिंग प्रमुख और साइट निदेशक वेंकट माचवारापू ने कहा कि पिछले तीन साल के दौरन स्टेम क्षेत्रों में नौकरियों में लगातार वृद्धि हुई है। यह हर्ष का विषय है कि नौकरियां तलाशने वाले इन क्षेत्रों में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों मसलन रोबोटिक्स, इंटरनेट आफ थिग्स के आगे बढ़ने से विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रतिभाओं की मांग कायम रहेगी।

देश में पिछले 10 साल में माफ हुआ 4.7 लाख करोड़ का कृषि कर्ज

मुंबई, 12 जनवरी (भाषा)।

पिछले एक दशक में विभिन्न राज्यों ने कुल 4.7 लाख करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए हैं। यह उद्योग जगत से संबंधित गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का 82 फीसद है। एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है।

एसबीआइ रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार कृषि ऋण का एनपीए 2018-19 में बढ़कर 1.1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह कुल 8.79 लाख करोड़ रुपए के एनपीए का 12.4 फीसद है। वित्त वर्ष 2015-16 में कुल एनपीए 5.66 लाख करोड़ रुपए था और इसमें कृषि ऋण की हिस्सेदारी 8.6 फीसद यानी 48,800 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट में कहा गया, 'वित्त वर्ष 2018-19 में कुल एनपीए में कृषि क्षेत्र का हिस्सा महज 1.1 लाख करोड़ रुपए यानी 12.4 फीसद का ही है, लेकिन यदि हम पिछले दशक में 3.14 लाख करोड़ रुपए के माफ किए गए कृषि ऋण को जोड़ें तो खजाने पर इनका बोझ 4.2 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। यदि महाराष्ट्र में 45-51 हजार करोड़ रुपए की हालिया ऋण माफी को जोड़ दें तो यह और बढ़कर 4.7 लाख करोड़ रुपए हो जाता है, जो उद्योग जगत के एनपीए का 82 फीसद है।'

वित्त वर्ष 2014-15 के बाद 10 बड़े राज्यों ने 3,00,240 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए हैं। यदि मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 में की गई ऋण माफी को जोड़ दें तो यह बढ़कर करीब चार लाख करोड़ रुपए हो जाता है। इसमें दो लाख करोड़ रुपए से अधिक के कृषि ऋण 2017 के बाद माफ किए गए।

आंध्र प्रदेश ने 2014-15 में 24 हजार करोड़ रुपए के कृषि ऋण को माफ किया। इसी दौरान तेलंगाना ने भी 17 हजार करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की। तमिलनाडु ने 2016-17 में 5,280 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। वित्त वर्ष 2017-18 में महाराष्ट्र ने 34,020 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 36,360 करोड़ रुपए, पंजाब ने 10 हजार करोड़ रुपए, कर्नाटक ने 18 हजार करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए। कर्नाटक ने इसके बाद 2018-19 में 44 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी दी। वित्त वर्ष 2018-19 में राजस्थान ने 18 हजार करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश ने 36,500 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ ने 6,100 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र ने 45-51 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी की। हालांकि ये कर्जमाफियां धरातल के बजाय कागजों पर ही अधिक हुई हैं। इनमें से 60 फीसद से अधिक कर्ज माफ नहीं किए जा सके हैं। सबसे खराब प्रदर्शन मध्य प्रदेश का रहा है। मध्य प्रदेश में महज 10 फीसद कर्ज माफ किए गए हैं।

एफपीआइ ने जनवरी में अब तक भारतीय पूंजी बाजार से 2,415 करोड़ निकाले

नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा)।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को देखते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) सतर्कता बरत रहे हैं। जनवरी में अब तक उन्होंने भारतीय पूंजी बाजार से 2,415 करोड़ रुपए निकाले हैं।

डिपॉजिटरी के नए आंकड़ों के अनुसार एक जनवरी से 10 जनवरी के दौरान एफपीआइ ने शेयरों में 777 करोड़ रुपए डाले हैं जबकि ऋणपत्रों या बांड बाजार से 3,192.7 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस तरह एफपीआइ ने घरेलू पूंजी बाजार से 2,415.7 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है। एफपीआइ इससे पहले सितंबर, 2019 से लगातार हर महीने शुद्ध निवेशक रहे हैं। मॉर्निंगस्टार इंवेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया के वरिष्ठ विश्लेषण प्रबंधक (शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, 'भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने से पहले विदेशी निवेशक वैश्विक मोर्चे पर चल रही गतिविधियों को नजदीकी से देख रहे हैं और सतर्कता बरते रहे हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से बदली भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने वैश्विक शेयर बाजारों को प्रभावित किया है।' हालांकि दोनों देशों ने तनाव को और नहीं खींचने के संकेत दिए हैं। इससे जोखिम पर धारणा पुनः मजबूत बन सकती है और आने वाले समय में एफपीआइ सकारात्मक हो सकते हैं। इसके अलावा एफपीआइ की निगाहें एक फरवरी को पेश होने जा रहे आम बजट पर भी लगी हैं।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी ने भारत की गैस मूल्य निर्धारण नीति की निंदा की

नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी (आईईए) ने प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण की भारत की नीति की निंदा की है। एजेंसी का कहना है कि घरेलू उत्पादन को वैश्विक स्तर के बेहद निम्न संदर्भ मूल्य से जोड़ने से उत्पादकों को मिल रहा प्रोत्साहन कम हुआ है।

एजेंसी ने भारत की ऊर्जा नीति की पहली गहन समीक्षा में कहा कि गैस का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है इन्हें जीएसटी के तहत कराधान में अन्य ईंधनों के साथ प्रतिस्पर्धा के समान अवसर मिलें। हालांकि ऊर्जा बास्केट में गैस की हिस्सेदारी मौजूदा छह फीसद से बढ़ाकर 2030 तक 15 फीसद करने की दिशा में प्रमुख चुनौती गैस का मूल्य निर्धारण है। उसने कहा, 'गैस की घरेलू कीमतों को अंतरराष्ट्रीय संदर्भ दर के निम्न स्तर से जोड़ने से आपूर्ति बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों को मिल रहा प्रोत्साहन कम हुआ है।' नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सरकार में आने के बाद घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के मूल्य निर्धारण के लिए ऐसे तरीके को मंजूरी दी जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और रूस जैसे गैस निर्यातक देशों की औसत कीमत पर आधारित है। इस तरीके से गैस की मौजूदा कीमत 3.23 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। यह तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात के लिए भारत द्वारा किए जाने वाले भुगतान का आधा है। एजंसी ने कहा, 'भारत की 2014 की गैस मूल्य निर्धारण नीति देश में घरेलू आपूर्ति-मांग प्रदर्शित करने वाली बाजार आधारित प्रणाली पर ध्यान देने के बजाय कीमतों के स्तर को कम करने पर जोर देती है।' उसने कहा कि भारत में अभी तक कोई व्यापार केंद्र नहीं है, जबकि 2019 में ही इसके सृजन का सुझाव दिया गया था। एजेंसी ने कहा, 'गैस के व्यापार केंद्र के सृजन से खुले बाजार में खरीदारों व विक्रेताओं के आपसी व्यवहार पर आधारित पारदर्शी कीमत का रास्ता तैयार होगा।

5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य महत्वाकांक्षी : नागराज

देश को नौ फीसद की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की जरूरत होगी

नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा)।

इंदिरा गांधी विकास व अनुसंधान संस्थान (आइजीआइडीआर) के प्रोफेसर आर. नागराज का मानना है कि 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य अत्यंत महत्वाकांक्षीय है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को नौ फीसद की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की जरूरत होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई, 2019 में दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद अगले पांच साल में भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया था। हालांकि, इसके बाद आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतों के कारण लक्ष्य पाने की राह में मुश्किलें बढ़ती गई हैं। नागराज ने कहा, 'यह लक्ष्य यदि असंभव नहीं है तो भी दशक का रिकॉर्ड देखते हुए बेहद कठिन है। मेरे पूर्वानुमान के हिसाब से पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान वास्तविक अर्थों में सालाना नौ फीसद की औसत से वृद्धि करने की जरूरत है।' उन्होंने कहा, 'चूंकि वृद्धि दर में गिरावट आ रही है, लक्ष्य प्राप्त करना बेहद मुश्किल लग रहा है।' प्रोफेसर नागराज ने बढ़ते व्यापार तनावों को लेकर कहा कि वैश्विक व्यापार में सुधार मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत का निर्यात से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुपात 2010 की शुरुआत से लगातार गिरा है। अतः इस गिरावट के रुख के बदल जाने के मुझे कोई संकेत नहीं दिखते हैं।'

यह पूछे जाने पर कि क्या आर्थिक नरमी को सिर्फ राजकोषीय उपायों से ही दूर किया जा सकता है, प्रोफेसर ने कहा कि पिछले कुछ साल में ब्याज दर घटाने से कोई मदद नहीं मिली है, अतः राजकोषीय उपायों की जरूरत है। उन्होंने आगामी बजट के बारे में कहा, 'मुझे उम्मीद है कि बजट में विश्वसनीय आंकड़ों के साथ अगले तीन-चार साल के लिए निवेश से जीडीपी के उच्च और लगातार बढ़ते अनुपात का लक्ष्य तय किया जाएगा और इसके लिए उचित व क्रियान्वयन योग्य रणनीति बनाई जाएगी।'

पेंशनभोगियों का प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजो अभियान

प्रयागराज, 12 जनवरी (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशनभोगी लंबे समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं जिसको लेकर फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड भेजो अभियान चला रखा है।

फोरम आफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट्स के राष्ट्रीय संयोजक जे एन शुक्ला ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 20 दिसंबर, 2019 को की गई जो 20 जनवरी, 2020 तक चलेगा। इस अभियान के तहत देशभर से सार्वजनिक बैंकों के पेंशनभोगी प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेज रहे हैं और वर्तमान में प्रतिदिन 60,000-70,000 पोस्टकार्ड पीएमओ पहुंच रहे हैं। शुक्ला ने उम्मीद जताई कि उनकी मांग को लेकर देशभर से भेजे जा रहे पोस्टकार्ड में से एक कार्ड तो प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और आल इंडिया बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन के मध्य औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत 29.10.1993 को पेंशन समझौता किया गया था। इस पेंशन समझौते में बिना लागलपेट लिखा है कि बैंक पेंशन स्कीम में वृद्धि सहित सभी शर्तें आरबीआई पेंशन नीति की शर्तों की तरह होंगी। उन्होंने कहा कि बैंक पेंशनभोगी अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए 1998 सें आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया गया।

बैंक पेंशन स्कीम स्वः वित्त पोषित है। पेंशन निधि का प्रबंधन ट्रस्ट के जरिये होता है और फंड निवेश की आय से पेंशन का भुगतान किया जाता है। ऐसे में बैंकों पर पेंशन भुगतान का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और पेंशन फंड की स्थिति भी काफी मजबूत है।

भारत यात्रा पर व्यापारियों के प्रदर्शन का सामना कर सकते हैं अमेजन के सीईओ

नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा)।

ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस को भारत यात्रा के दौरान व्यापारियों के विरोध व प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है। खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने रविवार को बयान जारी इसकी चेतावनी दी है। बेजोस 15 जनवरी से भारत यात्रा पर आने वाले हैं।

कैट ने कहा कि उसके बैनर तले ऑल इंडिया मोबाइल रीटेलर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्यूटर्स फेडरेशन सहित अन्य व्यापारी संगठन बेजोस का विरोध करेंगे। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि बेजोस की यह यात्रा सरकार को भरमाने की उनकी योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'बेजोस सरकार को बताएंगे कि वह छोटे खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बना रहे हैं। वह अमेजन की खराब प्रथाओं और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के उल्लंघन करने को लेकर झूठी कहानियां गढ़ेंगे।' उन्होंने कहा, अमेजन का दावा है कि उसके पोर्टल पर पहले से ही पांच लाख खुदरा विक्रेता हैं। कंपनी यह बताए कि उसने इन व्यापारियों के सशक्तिकरण के लिए अब तक क्या किया है।

वेलक्योर ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.
पंजीकृत कार्यालय : बी-9 एवं 10, लक्ष्मी टॉवर्स, एल.एस.सी., ब्लॉक-सी, सरस्वती विहार, दिल्ली-110034, दूरभाष : 27011428 फैक्स : 27023256
सीआईएन सं. : L24232DL1996PLC227773

31.12.2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम
(राशि लाख में)

विवरण	31.12.2019 को समाप्त तिमाही	31.12.2018 को समाप्त तिमाही	31.12.2019 को समाप्त नौमाही	31.12.2019 को समाप्त वर्ष
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
प्रचालनों से कुल आय (निबल) एवं अन्य आय	-	2.15	7.25	7.95
अवधि हेतु निबल लाभ (कर पूर्व/कर पश्चात तथा असाधारण मद एवं अन्य व्यापक आय)	(1.08)	1.38	(0.29)	0.39
इक्विटी शेयर पूँजी	1211.86	1211.86	1211.86	1211.86
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षी छोड़कर)	-	-	-	(1,209.49)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक) बेसिक एवं डाइल्यूटेड	(0.01)	0.01	(0.00)	-

नोट :
1. कम्पनी के तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधित) नियम, 2016 द्वारा यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किये गये हैं।
2. उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षित की गयी और 11 जनवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अभिलेखित की गयी।
3. उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल किये गये तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के व्यापक प्रारूप का सारांश है। समाप्त तिमाही तथा नौमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

ह./-
दिनांक : 11.01.2020 सुधीर चन्द्रा
स्थान : दिल्ली प्रबन्ध निदेशक

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SVMR LOGISTICS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of Corporate Debtor	SVMR LOGISTICS PRIVATE LIMITED
2	Date of incorporation of Corporate Debtor	28/11/2013
3	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies Delhi, India under Companies Act, 1956
4	Corporate Identity No. of Corporate Debtor	U74140DL2013PTC261227
5	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	FLAT NO 608A, 6TH FLOOR, DEVIKA TOWER, NEHRU PLACE DELHI South Delhi DL 110019
6	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	08.01.2020 (Date of receipt of Order: 11.01.2020)
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	06.07.2020
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Ajit Kumar Reg No- IBBI/IPA-003/IP-N00062/2017-18/10548
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Reg. Add – 1A, Sanskriti Apartment GH-22, Sector 56, Gurugram,Haryana & Punjab, 122011 Email – cmaajitjha@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address – Sun Resolution Professionals Pvt Ltd.83, National Media Centre, Shanker Chowk, Nr. Ambiance Mall / DLF Cyber City , Gurugram – 122002 Email –cirp.svmr@gmail.com
11	Last date for submission of claims	22.01.2020
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub- section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NOT APPLICABLE
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	NOT APPLICABLE
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: (a) www.ibbi.gov.in (b) NOT APPLICABLE

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the SVMR LOGISTICS PRIVATE LIMITED on 08th January, 2020.
The creditors of SVMR LOGISTICS PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 22.01.2020 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditor belonging to a class,as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class Home buyers (Real estate investors) in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of Interim Resolution Professional :
Sd/-
Ajit Kumar
Interim Resolution Professional
Reg No- IBBI/IPA-003/IP-N00062/2017-18/10548
Date : 11.01.2020
Place: Gurugram

SBI
तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (एसएआरजी), कॉर्पोरेट केंद्र, द्वितीय तल, द आर्केड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई - 400 005.

अभिरुचि प्रकटीकरण (ईओआई) हेतु निवेदन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के साथ पंजीकृत और एनसीएलटी बेंच के स्थानों पर कार्यालय रखने वाले दिवाला वृत्तिकों (इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनलस) की ओर से एनसीएलटी के समक्ष दर्ज किए गए मामलों में नामांकन हेतु एसबीआई द्वारा मनोनयन के लिए रुचि प्रकटन (ईओआई) आमंत्रित किये जाते हैं। योग्यता, कार्य के दायरे, नियमों व शर्तों से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट **https://sbi.co.in** पर **'न्यूज़-में- एसबीआई/empanelment-of-vendors'** खण्ड देखें।

स्थान: मुंबई हस्ताक्षर
दिनांक: 13.01.2020 उप महाप्रबंधक (एनसीएलटी)

अनूप मल्लेबल्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 46 बी, रफी अहमद किदवई रोड, दूसरा तल, कोलकाता-700016
संयुक्त कार्यालयः जी.टी. रोड, कान्द्रा, डाकखाना भीतिया, धनबाद-828109
टेलीफैक्सः (033) 3022 4544, ई-मेलः sales@anupmalleables.com
वेबसाईटः www.anupmalleables.com CIN: L27310WB1981PLC033923

शेयरधारकों को सूचना

कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासन) नियमों, 2014, विस्तारित अधिसूचित के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुवर्ती एतद्द्वारा कंपनी के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी के शेयरधारकों को डाकीय मतपत्र तथा स्वयंपता लिफाफे प्रीपेड के साथ प्रस्तावित प्रस्ताव तथा विस्तृत सारांस के साथ डाकीय मतपत्र सूचना दिनांक 30.12.2019 को भेजने का कार्य 11.01.2020 को पूरा किया है जिनके नाम 27.12.2019 को शेयरधारकों के रजिस्टर में नाम दर्शाया गया है, उनसे बीएसई लिमिटेड तथा दि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड अर्थात दोनों एक्सचेंज जहां वर्तमान में कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, से इक्विटी शेयर्स की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग पर उनकी सहमति मांगने के लिये जो इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा वोटिंग के साथ डाकीय मतपत्र के माध्यम से पारित करना प्रस्तावित है।

शेयरधारक नोट करें कि ई-वोटिंग का विकल्प भी उपलब्ध है जो 12.01.2020 को प्रातः10.00 बजे शुरू तथा 10.02.2020 को सायं 05.00 बजे बंद होगी।

कंपनी के निदेशकों ने बोर्ड ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके में डाकीय मतपत्र प्रक्रिया आयोजित करने के लिए छंटनीकार के तौर पर श्री गोपाल शर्मा पेशेवर वकील (नामांकन सं. 3379/ 2005) को नियुक्ति किया है। शेयरधारक कृपया नोट करें कि विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित डाकीय मतपत्र 10.02.2020 को अपराह्न 5.00 बजे या उससे पूर्व छंटनीकार को पहुंच जाने चाहिए। कथित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त सभी डाकीय मतपत्र और ई-वोट को रद्द समझा जाएगा यदि ऐसे शेयरधारकों से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है।

कोई शेयरधारक जिसे डाकीय मतदान मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है वह कंपनी को डुप्लिकेट डाकीय मतपत्र के लिए अनुरोध कर सकते हैं। डाकीय मतपत्र के माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी समस्या किसी स्थिति में, शेयरधारकों को सुश्री नेहा सैनी, 46 बी, रफी अहमद किदवई, रोड, दूसरा तल, कोलकाता-700016, टेलीफैक्सः (033) 30224544, ई-मेलः sales@anupmalleables.com पर संपर्क करें।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते अनूप मल्लेबल्स लिमिटेड
स्थानः कोलकाता हस्ता./- नवीन कुमार तुलस्यान
दिनांकः 11.01.2020 (निदेशक) DIN: 00304819

प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कम्पनी के पंजीकृत पते को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक*-उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपपद (अ) के मामले में
तथा
फ्रॉग स्पोर्ट्स इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन : U18101DL2000PTC10391) के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान नं. 122, प्रथम तल, शाहपुर जट, नई दिल्ली-110049 पर है

..... याचिकाकर्ता

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में परिवर्तित करने के लिए 18 दिसम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था नियमावली के परिवर्तन के सुनिश्चितीकरण चाहने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत क्षेत्रीय निदेशक*, उत्तरी क्षेत्र पीठ, नई दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के पंजीकृत पते के परिवर्तन से प्रभावित होना सम्भावित है वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर या इसे भेजे जाने का कारण दर्ज करा सकता है या विरोध की पृष्ठभूमि तथा अपने हित की प्रकृति बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा अपनी आपत्तियों को समर्थित करके पंजीकृत डाक द्वारा इस प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पर तथा इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के पंजीकृत पते मकान नं. 122, प्रथम तल, शाहपुर जट, नई दिल्ली-110049 पर भेज सकता है।

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
ह./-
सुमन कपूर
निदेशक
तिथि : 03.01.2020
स्थान : दिल्ली
नोट : *एमसीए अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर, 2016, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्ति।

प्रपत्र – आईएनसी – 26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
न्यूरोमॉर्फिक मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एच. नंबर 838, सेक्टर-19, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 में स्थित है, के विषय में
.....**याचिकादाता**

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"एच. नंबर 838, सेक्टर-19, फरीदाबाद, हरियाणा-121002"** से **"कर्नाटक राज्य"** में '206, टावर ए, कार्लटन टावर्स, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बेंगलुरू, कर्नाटक-560008' स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में मंगलवार, 31 दिसम्बर, 2019 को सम्पन्न इसकी असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन के संशोधन की पुष्टि के लिए एक आवेदन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे दिए पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :
पंजीकृत कार्यालय : एच. नंबर 838, सेक्टर-19, फरीदाबाद, हरियाणा-121002

कृते एवं हिते
न्यूरोमॉर्फिक मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
मधुर गोयल
निदेशक
डीआईएन : 03421210
तिथि : 11.01.2020